दिनांक	कार्यवाही	टिप्पणी
10.1.23	पत्रावली वकील प्रार्थी ~~श्री~~ केशाराम के आवेदन पर तलब होकर पेश हुई। प्रार्थी ने अपना मूल दावा विड्रा कर लिया है इसलिए इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दाँतारामगढ़ (सीकर)	पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है पत्रावली विड्रो की जाती है